

19/12/18

पत्रावली पत्र दुई। व्युत्पन्न रूप
वकील उभारी - दण्डाणी सं. 1/1 व 1/6 व 1/7 न जाये
रजि 1/10 भेज व रशोके सागणी भेगी वा पत्र को
वकील दण्डाणी सं. 1/3 B 3 जाये, व वकील दण्डाणी
सं. 2/1 5 राजानु केवद दण्डाणी भेगी वा सावरमळ
रूप ही जतलन पत्र को पत्रावली दि 10/1/19 को
पत्र ही

10/1/19

राज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार कोरे वप
आवे-र सं. 1/3 वकील दण्डाणी होकर, दिनांक 10/1/19
5/2/19

5/2/19

राज पीठासीन अधिकारी कार्य सरकार कोरे वप
आवे-र सं. 1/3 वकील दण्डाणी होकर, दिनांक 10/1/19
19/2/19

19/2/19

पत्रावली पत्र दुई व्युत्पन्न रूप
वकील उभारी को पूर्व में 19/12/18 को दण्डाणी
सं. 1/1 व 1/6 को तैरि रजि 1/10 में भेजन हेतु
अप्याप्राप्त हुए, जायेरि नियु, वा उक्त
नियु परिपत्र को जान रे सप्य भी उभारी हुए
9

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

रुपये 100 की रकम पर नही की है। इसमें
उलीर होना है कि दस्तावेज सं. 11/9/16 पर
समन (नोटिस) की जाये इसलिये नही हुई
कि डाक भेजना समझ पर नही दी गई है
इस कारण दस्तावेज सं. 11/9/16 उपर नही
हो सके। दस्तावेज की कार्यवाही पर
दस्तावेज सं. 11/9/16 नियम 2 के अन्तर्गत
विषय लागू है।

रक्षायक कलकत्ता एवं
उपखण्ड अधिकारी
तीराना बाहर (जिल्हा मुख्यालय)